बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित) (Sponsored by Bank of Baroda)

प्रधान कार्यालयः अजमेर

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालना हेतु समस्त सम्मानित ग्राहकों को सूचना व अनुरोध

1. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी खाते अनिवार्यतः केवाईसी अनुपालित होने चाहिए। अतः ऐसे सभी खाताधारक जिन्होंने अभी तक पहचान एवं पते का प्रमाण (आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज– पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड़, चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, नरेगा का जॉब कार्ड़, आधार कार्ड़ – उपरोक्त दस्तावेज में यदि पता उल्लेखित हो तो कोई भी एक दस्तावेज पहचान एवं पते दोनों के लिये पर्याप्त है) एवं अपना नवीनतम फोटो जमा नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध हैं कि वर्णित दस्तावेज दिनांक 10.08.2015 से पहले अपनी बैंक शाखा में आवश्यक रूप से जमा करवाएं। दिनांक 10.08.2015 के बाद गैर केवाईसी अनुपालित खातों में किसी प्रकार के लेनदेन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. ऐसे बचत बैंक तथा चालू खाताधारक जिन्होंने खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा हुआ है, पिछले 24 महीने में खाते में कोई परिचालन नहीं किया है और केवाईसी अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि केवाईसी की अनुपालना के साथ ही पर्याप्त बैलेंस रखें तथा खाते में नियमित लेनदेन करें, उक्त की अनुपालना न होने पर खाता बंद कर दिया जायेगा जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं

1. डीबीटी लाभ और रसोई गैस सब्सिडी के हस्तान्तरण की सुविधा के लिए खाता बैंक के साथ जोड़ने के लिए आधार कार्ड के साथ अपनी शाखा से सम्पर्क करें।
2. प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत खोले गये बचत खाताधारकों से अनुरोध है कि खाते में सन्तोषजनक लेनदेन करें और नियमानुसार अधिविकर्ष सुविधा का लाभ प्राप्त करें।
3. सभी खाताधारकों से अनुरोध है कि खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें और पीएमजेजेवाई (PMJJY), पीएमएसबीवाई (PMSBY) और एपीवाई (APY) का लाभ उठावें।
4. ग्राहकों से अनुरोध है कि पीएमजेडीवाई (PMJDY) का बीमा लाभ उठाने के लिए अपना डेबिट कार्ड शाखा से प्राप्त कर, कार्ड से 45 दिन में लेनदेन अवश्य करें।
5. अपने डेबिट कार्ड एवं पासवर्ड की सूचना किसी को न दें। बैंक द्वारा इस प्रकार की सूचना/जानकारी नहीं मांगी जाती है। सूचना देने पर हुई हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
6. खातों में न्यूनतम जमा शेष रखने संबंधी एवं न्यूनतम जमा शेष न रखने पर लगने वाले प्रभारों संबंधी जानकारी हेतु बैंक की वेबसाइट www.brkgb.com पर विजिट करें।

नोट– अधिक जानकारी के लिए हमारी संबंधित/नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें।